2

शिक्षा के अधिकार 2009 के शैक्षिक आयामों की व्यावहारिक प्रासंगिकता

शाइनी ढुग्गल*

भारत सरकार ने पहली अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को देश भर में लागू कर दिया। इस अधिकार में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलुओं – विद्यालयों की उपलब्धता, शिक्षकों की योग्यताएँ, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षक–छात्र अनुपात इत्यादि के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अधिकार का लागू होना नि:संदेह एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत देश इस मौलिक अधिकार के लिए तैयार है? इस लेख द्वारा शिक्षा के अधिकार के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते हुए, इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक विकास के उद्देश्यों की चरमसीमा के रूप में बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 को पहली अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। यह अधिकार नि:संदेह, आवश्यक और सामयिक है परंतु फिर भी इसके आकस्मिक रूप से लागू होने में जल्दबाज़ी का अभास होता है। यद्यपि इस अधिकार के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी परंतु इस अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित कर इसे लागू करने का, संभवत: यह उपयुक्त समय नहीं था। आंकड़ों की विषमता इस अधिकार को अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रमाणित करती है। यह अधिकार अत्यंत सदाशय होने कारण एक स्वागत योग्य कदम है फिर व्यावहारिकता के धरातल पर यह एक फ़ीकी रेखा मात्र है। इस लेख में शिक्षा के अधिकार के मुख्य पहलुओं की समालोचना करते हुए इसकी प्रासंगिकता के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है।

देश में 6–14 आयु वर्ग में लगभग 45 करोड़ बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक संसाधनों का सटीक अनुमान लगाना आवश्यक है। इन बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं से युक्त विद्यालयों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता इस अधिकार को लागू करने में एक बड़ी बाधा है। वैसे तो, सरकारी आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच 98 प्रतिशत है परंतु फिर भी बच्चों की संख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा विद्यालयों की पहुँच से दूर हैं। एक विश्लेषण के अनुसार देश में लगभग 52 प्रतिशत बच्चे शिक्षा/विद्यालयों की पहुँच से बाहर हैं तथा 53

* *परामर्शदाता,* प्रांरभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली–110016

प्रतिशत बच्चे आठवीं तक की (प्रारंभिक) शिक्षापूर्ण किए बिना पढ़ाई छोड़ देते हैं जिनमें 66 प्रतिशत लड़कियाँ, 46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र तथा 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 5–10 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा देना एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है।

गुणतात्मक शिक्षा के विस्तार के संबंध में विद्यालयों में सभी बच्चों की आसान पहुँच

शिक्षा के अधिकार के विभिन्न शैक्षिक आयाम

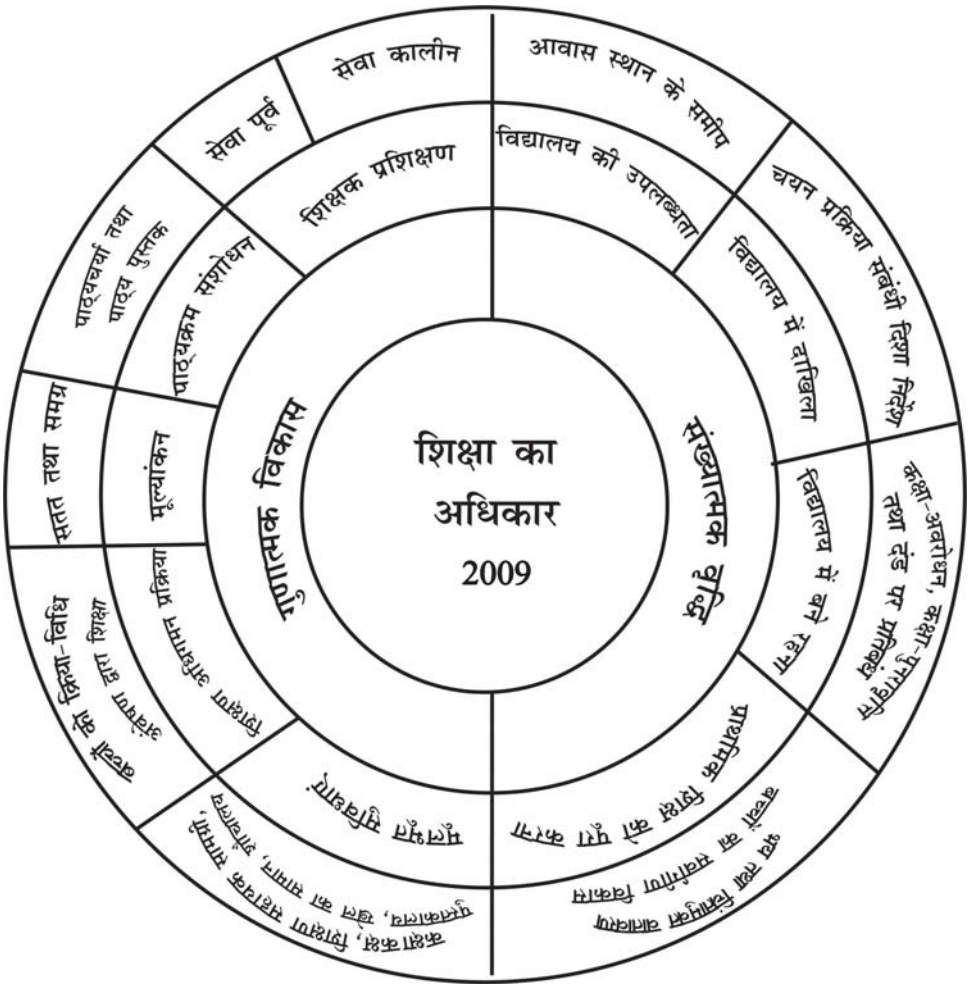

का प्रश्न सर्वप्रथम सामने आता है। शिक्षा के अधिकार में आवास-स्थान के समीपवर्ती (Neighbourhood) विद्यालय का प्रावधान है। परंतु **इस अधिकार में आवास स्थान के समीपवर्ती विद्यालय में दाखिले में गैर-सरकारी विद्यालयों (अनुदान प्राप्त करने तथा अनुदान न प्राप्त करने वाले विद्यालयों) के विषय में कोई साफ़ दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।** हालाँकि, इस अधिकार में, अन्य स्थान पर, इन विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमज़ोर तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के दाखिले की बात की गई है परंतु इसमें व्यय की गई धनराशि की सरकार द्वारा अदायगी के विषय में फिलहाल कोई नीति तय नहीं की गई है।

आवास स्थान के समीपवर्ती विद्यालयों में बच्चों के चयन की प्रक्रिया के विषय में भी यह अधिकार लगभग मूक है। यह परिस्थिति भविष्य में और भी समस्या खड़ी कर सकती है क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत दाखिले के लिए विद्यालयों द्वारा केपिटेशन फ़ीस लेने की बिल्कुल मनाही है।

आयु-उपयुक्त दाखिले के संबंध में भी इस अधिकार में काफ़ी अस्पष्टता है। आयु-उपयुक्त कक्षा में दाखिले के अंतर्गत, शिक्षा-व्यवस्था से बाहर बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला न देकर, उनकी आयु के उपयुक्त कक्षा में दाखिले का प्रावधान है। इस नियम के अनुसार दूसरी से पाँचवीं कक्षा तक भर्ती किए गए बच्चों को फिर से (दुबारा) प्रशिक्षण द्वारा अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सकता है परंतु छठी, सातवीं तथा आठवीं कक्षाओं में सीधे दाखिला मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उदाहरण के लिए 12 साल के बच्चे को सातवीं कक्षा में सीधे प्रवेश देकर विशेष प्रशिक्षण के नाम पर, उसमें पहली से छठी कक्षा का सारा ज्ञान उड़ेलना त्रुटिपूर्ण ही नहीं अप्राकृतिक है। इसके अतिरिक्त, दाखिले के लिए जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त करना इस विषय को और उलझा सकता है। पूरे वर्ष दाखिला प्रक्रिया को चलाना भी शिक्षण की दृष्टि के साथ-साथ बच्चों के अधिगमन के लिए भी कठिन होगा क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत किसी बच्चे को कक्षा-पुनरावृति भी नहीं करवाई जा सकती।

इस अधिकार के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति तय की गई योग्यताओं के आधार पर ही होगी अन्यथा नहीं अर्थात् केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही शिक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगर अप्रशिक्षित शिक्षक किसी विद्यालय में स्थायी या अस्थायी रूप से पढ़ा रहें हैं तो उन्हें पाँच वर्षों के भीतर आवश्यक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसके अभाव में उन्हें सेवानिवृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिकार के अनुसार पहली से पाँचवीं कक्षा तक शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 तथा छठी से आठवीं कक्षा तक 1:35 होना चाहिए। एक विश्लेषण के अनुसार देश भर में 44 प्रतिशत पैरा शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो कि कुल शिक्षकों का 10 प्रतिशत हैं। साथ ही, वर्तमान में शिक्षक-छात्र अनुपात

1: 50 है। इस स्थिति में अगर देश में प्रशिक्षित शिक्षकों संबंधी नियम तथा नए शिक्षक-छात्र अनुपात को अपनाया गया तो इससे शिक्षकों की भारी कमी हो सकती है। एक अनुमान के आधार पर आगामी कुछ वर्षों में लगभग 12 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी जिसके लिए फिलहाल सरकार के पास पर्याप्त मानव तथा अन्य संसाधनों का अभाव है।

शिक्षा के अधिकार में पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा मूल्यांकन के विषय में भी चर्चा की गई है। यह मुख्यत: एन.सी.ई.आर.टी. के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF)-2005 पर आधारित है जिसके अनुसार शिक्षण में कन्स्ट्रक्टिव विधि (Constructive approach) अपनाते हुए क्रिया-केंद्रित, खोज तथा अन्वेषण पर आधारित शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इन विधियों से मूल्यांकन प्रक्रिया को भी अंतर्निहित करते हुए इसे चिंता तथा भय मुक्त बनाने पर ज़ोर दिया गया है।

वस्तुत: वैसे ही देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें भी इन आयामों में सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा - 2005 के लागू होने के पाँच वर्ष पश्चात् भी अधिकतर शिक्षक इसमें वर्णित मूल्यों के वास्तविक आशय को आत्मसात नहीं कर सके हैं। आज भी बहुत से राज्यों में पाठ्यक्रम संशोधन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई और जिन राज्यों ने पाठ्यक्रम का नवीनीकरण किया या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा - 2005 को अपनाया है उन्हें भी इसके प्रमुख बिंदुओं का ज्ञान नहीं है। वे आज भी परंपरागत शिक्षण-मूल्यांकन पद्धति को अपनाते हैं और बच्चों के मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने में लगभग असफ़ल हैं। अन्य शब्दों में, एक ओर प्रशिक्षित-शिक्षकों का अभाव है, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित-शिक्षकों के ज्ञान का अद्यतनीकरण (Update) करना अत्यंत अनिवार्य है। प्रशिक्षित शिक्षकों में आवश्यक योग्यता की अपर्याप्ता प्रशिक्षण के दोनों चरणों में सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अति अनिवार्यता की स्थिति उत्पन्न करती है।

वर्तमान में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक तैयार करने के समुचित साधन नहीं हैं। अर्थात् हमारी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली भी तत्कालीन सरोकारों के कार्यांवयन के लिए अपर्याप्त है। इस विषय में दो प्रमुख तर्कों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। प्रथम, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का सांख्यिक रूप से अपर्याप्त होना। द्वितीय, इन संस्थानों में गुणात्मक प्रशिक्षण का अभाव।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCTEF)-2009 के अनुसार देशभर के 599 ज़िलों में से फिलहाल 571 ज़िलों में मंडलीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की स्थापना की गई जिसमें से 529 मंडलीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान कार्यशील हैं और अन्य 42 को कार्यशील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु इन मंडलीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षक-प्रशिक्षकों की निरंतर

अनुपलब्धि एक मुख्य समस्या के रूप में सामने आती है।

यद्यपि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने शिक्षक प्रशिक्षण के दोनों चरणों में सुधार के मद्देनज़र राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 को लागू किया है परंतु फिर भी इसके आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार एक लंबी तथा समयावलंबी प्रक्रिया है और उसे सही रूप से अपनाने के लिए अन्य संसाधनों के साथ मानवीय संसाधनों, अर्थात् शिक्षक- प्रशिक्षक को सुधारात्मक प्रक्रिया से गुज़रना आवश्यक है। अत: शिक्षक-प्रशिक्षक को भी शिक्षण के क्षेत्र में अपनाए जा रहे नवाचारों से अवगत कराना भी महत्वपूर्ण है। आज भी शिक्षक-प्रशिक्षक, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में परंपरागत विषयवस्तु, परंपरागत विधि से पढ़ा रहे हैं। फलत: शिक्षक प्रशिक्षण के दोनों चरणों के पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व सुधार की आवश्यकता है। अगर हमें बच्चों को कन्स्ट्रक्टिव विधि से पढ़ाना है तो हमें प्रशिक्षण के दोनों चरणों में इस विधि के प्रयोग को सहजता से अपनाना होगा ताकि भावी तथा कार्यरत शिक्षकों को इसके प्रयोग की व्यावहारिकता के विषय में कोई संशय न रहे। इस दिशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रयासरत रहते हुए शिक्षक प्रशिक्षण को व्यावसायिक करने की दृष्टि से कई सुधार लागू किए हैं। आशा है कि इन सुधारों के परिणाम भविष्य में पूरी शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, सतत तथा समग्र मूल्यांकन प्रणाली के विषय में भी शिक्षकों की समझ को विस्तृत करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को इस बात का अहसास करवाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार मूल्यांकन द्वारा न केवल उनके कार्यभार में कमी आएगी बल्कि यह प्रक्रिया उनके तथा उनके छात्रों के लिए आत्म-आकलन की एक निरंतर दिशा-निर्धारित करने वाली व्यवस्था होगी। इस प्रक्रिया में अधिगम के उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का एक सम्मिश्रण होगा जिसमें गतिशीलता तथा सहजता दोनों का संश्लेषण होगा।

शिक्षा के अधिकार में बच्चों का सर्वांगीण विकास तथा उनके लिए आवश्यक परिस्थितियों की बात की गई जिसमें बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए जहाँ उनकी दोनों शारीरिक और मानसिक क्षमताएँ पूर्णरूपेण विकसित हो सकें, अर्थात् बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे उनका ज्ञान, सामर्थ्य तथा प्रतिभाओं का अत्यधिक विकास हो सके। साथ ही बच्चों को संविधान में वर्णित मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए।

इनके लिए आवश्यक परिस्थितियों का भी उल्लेख शिक्षा के अधिकार में किया गया है। जिसके अनुसार-

- शिक्षा मातृभाषा में दी जाए;
- बच्चों को भय तथा चिंतामुक्त बनाते हुए स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने का अवसर दिया जाए;
- बच्चों को क्रिया-विधि, खोज तथा अन्वेषण द्वारा शिक्षा दी जाए;
- बोर्ड परीक्षा प्राथमिक स्तर पर नहीं ली जाए इत्यादि।

उपरोक्त इन सभी दिशा-निर्देशों का संबंध सीधे-सीधे शिक्षक के प्रशिक्षण तथा व्यवहार से है। अगर शिक्षक प्रशिक्षण में इन बातों का समावेश होगा तभी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। वर्तमान में इसका अभाव है।

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शैक्षिक विषयों के पालन की निगहबानी के संबंध में प्रदत्त अधिकार में काफ़ी अस्पष्टता अथवा अपूर्णता है।

- छः वर्ष की आयु से पहले तथा चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् की शिक्षा,
- प्रतिबंधित कक्षा अवरोधन,
- प्रतिबंधित कक्षा-पुनरावृत्ति,
- दंड पर प्रतिबंध, आदि।

शिक्षा के अधिकार का लागू होना एक महत्वाकाँक्षी तथा चुनौतीपूर्ण कदम है क्योंकि एक ओर इसकी सामयिकता का प्रश्न है, तो दूसरी ओर इसकी अत्यंत आवश्यकता का सवाल है। **देश में अपर्याप्त संसाधनों की स्थिति तो निरंतर चली आ रही है।** परंतु इसमें उत्साह, परिश्रम तथा योजना के आयाम जोड़कर इस अधिकार के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना असंभव नहीं है। अतः सभी पणधारियों (Stakeholders), संबंद्ध व्यक्तियों, संस्थानों तथा सरकारी विभागों में तालमेल और साझेदारी से 'सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा' का चिरकालीन उद्देश्य अप्रार्याय नहीं है।

संदर्भ

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा–2005, नयी दिल्ली– एन.सी.ई.आर.टी. (2005)
- नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क फार टीचर एजुकेशनः टोवर्डस् प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड ह्यूमन टीचर– 2009, न्यू दिल्ली– नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (2009).
- नेशनल नॉलिज कमिशन रिपोर्ट, न्यू दिल्ली– गर्वमेंट ऑफ इंडिया (2007)
- राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्प्लसरी एजुकेशन एक्ट, 2009, न्यू दिल्ली– दा गॅज़ेट ऑफ इंडिया (2009)
- डब्लूडब्लूडब्लू.सीआरवाई.ओआरजी
- डब्लूडब्लूडब्लू.एजुकेशनऑनलाइन. ओआरजी

❑❑❑